ई–मेल/शीर्ष प्राथमिकता/अति महत्वपूर्ण/सम्बद्ध

प्रेषक,

निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1 समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3. निदेशक/प्रमुख अधीक्षक, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ/डा0 एस0पी0एम0 (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ/डा0 आर0एम0एल0 चिकित्सालय, गोमतीनगर, लखनऊ/ओपेक चिकित्सालय, कैली बस्ती/यू0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर।

4. समस्त प्रधानाचार्य, सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, झांसी, फैजाबाद, इलाहाबाद।

5. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरूष/महिला चिकित्सालय, उ0प्र0।

6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, रानी लक्ष्मी बाई संयुक्त चिकित्सालय, लोकबन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ, टी0बी0 चिकित्सालय, लखनऊ/तेलियरगंज, इलाहाबाद, मानसिक चिकित्सालय, बरेली/वाराणसी, एस0आर0एन0 चिकित्सालय, मोतीलाल नेहरू चिकित्सालय, टी0बी0 सप्रू चिकित्सालय, इलाहाबाद।

7. अपर निदेशक, मलेरिया, जवाहर भवन, लखनऊ।

8. अपर निदेशक, राज्य विधि विशेषज्ञ, ऐशबाग, लखनऊ।

9. सयुंक्त निदेशक, मातृ शिशु कल्याण, परिवार कल्याण, महानिदेशालय, लखनऊ।

10. अपर निदेशक, राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, सेक्टर–सी, अलीगंज, लखनऊ/वाराणसी।

11. प्रधानाचार्य, गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, लखनऊ।

12. प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, टूरियागंज, लखनऊ।

13. संयुक्त निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांकः–4डी(1)/438/2015/1497 लखनऊ : दिनांक :20/02/2018

विषयः– स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत प्रदेश के अधीनस्थ कार्यालयों/चिकित्सालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी (समूह–घ) से लिपिक वर्गीय (समूह ग) को नियमावली में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत के प्रोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदनो का विवरण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर महानिदेशालय के पत्रांक–4डी(1)/438/2015/4722, दिनांक 05.12.2017 जिसके द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत प्रदेश के अधीनस्थ कार्यालयों/चिकित्सालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी (समूह–घ) से लिपिक वर्गीय (समूह ग) को नियमावली में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत के प्रोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त नियंत्रक अधिकारियों से उनके अधीन कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का सेवा विवरण उपलब्ध कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे, को कृपया संदर्भित करने का कष्ट करें।

प्रश्नगत प्रकरण पर उपरोक्त निर्देशों के क्रम में नियंत्रक अधिकारियो के माध्यम से लगभग 1280 प्रत्यावेदन/आवेदन उचित माध्यम से प्राप्त हुये हैं, जिनके परीक्षणोपरान्त तकनीकी पदों पर कार्यरत 26 कर्मचारियों को तकनीकी पदों पर कार्यरत होने के कारण अनुपयुक्त पाया गया शेष 1254 अर्ह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुये आपसे यह कहना है कि अंकित सेवा विवरण को संबंधित कार्मिकों को अवलोकित कराते हुये यदि कोई त्रुटि प्रकाश में आती है तो उसके निदान हेतु संबंधित अभिलेख नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर से आगामी 10 मार्च, 2018 के पूर्व 4डी(1) अनुभाग, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 31 जनवरी,

D/RajC

2018 को जिनकी नियमित सेवायें 05 वर्ष से कम होंगी उन्हें उपरोक्त प्रोन्नत हेतु अर्ह नहीं माना जायेगा। किन्ही कारणों से यदि किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का नाम/विवरण महानिदेशालय को उपलब्ध न कराया गया हो तो निर्धारित तिथि के पूर्व उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे कोई भी कर्मचारी प्रोन्नति के लाभ से वंचित न रह सके और न ही किसी वाद/विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। यदि निर्धारित समय के अन्तर्गत अपेक्षित सूचनायें/त्रुटि सुधार नहीं कराया जाता है और विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो संबंधित नियुक्ति/नियंत्रक अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी।

भवदीया,

(डा0 पूजा पाण्डेय)
आई0ए0एस0
निदेशक (प्रशासन)

पत्र संख्या–4डी(1)/438/2015/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग–4
2. स्टाफ आफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
3. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संलग्न सूची की सी0डी0 को विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(डा0 पूजा पाण्डेय)
आई0ए0एस0
निदेशक (प्रशासन)

D/RajC